संख्या-10/2015/235/अड़तीस-5-15-27 बजट/2013 (ए)

प्रेषक,

पी0एन0 त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2015

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में पेयजल के विभिन्न कार्यक्रम हेतु प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि को अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक-241/डब्लू-409/2015, दिनांक 20.03.2015 एवं तद्संलग्न पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न स्वीकृत आदेशों जिनका विवरण निम्नवत है का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें:-

(धनराशि लाख रू0 में)

1	W-11022/4/2014/NRDWP/Water/521	16/03/2015	354.20	Water Quality Focus Funding(Chemical)
2	W-11022/4/2014/NRDWP/Water/518	16/03/2015	2685.45	Water Quality Focus Funding(Bacterial)
3	W-11032/1/2014/Water/508	10/3/2015	500.00	calamities
4	W-11020/26/2011/NRDWP/Water/495	5/3/2015	1132.65	WQM&S Programme
5	W-11020/26/2011/NRDWP/Water/494	5/3/2015	1762.50	Support Activity
	Total		**6434.80**	

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार भारत सरकार से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-2015 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त केन्द्रांश रू0 6434.80 लाख (रूपये चैसठ करोड़ चैतीस लाख अस्सी हजार मात्र) एवं मैचिंग राज्यांश के रूप में रू0 4303.21 लाख (रूपये तैतालिस करोड़ तीन लाख इक्कीस हजार मात्र) कुल धनराशि रू0 10738.01 लाख (रूपये एक सौ सात करोड़ अड़तीस लाख एक हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति योजनान्तर्गत निम्नानुसार विभिन्न घटकों में पुनर्विनियोग के माध्यम से श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	**पेयजल कार्यक्रम के विभिन्न घटक**	**प्राप्त केन्द्रांश**	**अवमुक्त केन्द्राश**	**अवशेष केन्द्रांश जो अवमुक्त किया जा रहा है।**	**अपेक्षित राज्यांश**	**अवमुक्त राज्यांश**	**अवशेष राज्यांश जो अवमुक्त किया जा रहा है।**
1	Sustainability	6097.80	6097.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Quality	12195.60	12195.60	0.00	12195.60	11887.41	308.19
3	O&M	9146.70	9146.70	0.00	9146.70	8915.56	231.14
4	Coverage	28659.66	28659.66	0.00	28659.66	27935.43	724.23
5	Support Activity	4457.50	2695.00	1762.50	0.00	0.00	0.00
6	WQM&S	2666.16	1533.51	1132.65	0.00	0.00	0.00
7	Water Quality Focus Funding (Bacteria)	6791.91	4106.46	2685.45	6791.91	4106.46	2685.45
8	Water Quality Focus Funding (Chemical)	354.20	0.00	354.20	354.20	0.00	354.20
9	Natural Calamities	4400	3900	500.00	0.00	0.00	0.00
	Total	**74769.53**	**68334.73**	**6434.80**	**57148.07**	**52844.86**	4303.21

3- उपरोक्तानुसार केन्द्रांश व राज्यांश की स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 10738.01 लाख (रूपये एक अरब सात करोड़ अड़तीस लाख एक हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन है:-

http://sbsanidesh.up.nic.in

I. धनराशि का व्यय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त स्वीकृत आदेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।

II. एन0आर0डी0डब्लू0पी0 के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश /राज्यांश की धनराशि के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-667/अड़तीस-5-14-27बजट/13 (ए), दिनांक 03 जून, 2014 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

III. उक्त स्वीकृत धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कोषागार से आहरित कर भारत सरकार के निर्देशानुसार यथावश्यक प्रोगाम व सपोर्ट एकाउन्ट में जमा की जायेगी एवं निर्धारित अवधि में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उपर्युक्तानुसार प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि रू0 10738.01 लाख (रूपये एक अरब सात करोड़ अड़तीस लाख एक हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के "अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-4215 -जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-01-जलपूर्ति- 102-ग्रामीण जलपूर्ति- 02- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम- 01-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू.पी.) (के.50/रा.50 -के0+रा0) -24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित अनुदान संख्या-13 के अधीन अन्य योजनान्तर्गत बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जाएगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-322(1)/दस-2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 235 (1)/अड़तीस-5-15, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, 9वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
3. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा ।
11. महाप्रबन्धक, झांसी डिवीजन जल संस्थान झांसी।
12. नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
13. अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
14. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
15. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन/ स्वीकृति

(संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम 13- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) वित्तीय वर्ष 2014-2015 (धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
1	2	3	4	5	6
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)/आयोजनागत 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-02-इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) -01-इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (के0-75/रा0-25-के0रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
4216-03-800-02-01-24	11880167	3569907	1073801	1073801	10806366
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15डिजिट कोड में)/आयोजनागत 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-01-जलपूर्ति- 102-ग्रामीण जलपूर्ति- 02- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम- 01-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी. डब्लू.पी.) (के.50/रा.50 -के0रा0) -24-वृहत निर्माण कार्य	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमित हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4215-01-102-02-01-24	13185600	14259401	1073801	1073801	14259401
योग	**13185600**	**14259401**	**1073801**	**1073801**	**14259401**

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत के कारण निम्नानुसार हैः- स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखा शीर्षकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय

http://shasanadesh.up.nic.in

3. निम्नलिखित कारणों से हैः- केन्द्र वित्त पोषित योजना के कार्यान्वयन के कारण
4. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम पी0एन0 त्रिपाठी, संयुक्त सचिव
प्रशासकीय विभाग-ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्याः- आर.ई.-659/ई-2-322/दस-2015, दिनांक 30-3-15

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम राम किशोर पाण्डेय,
उप सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

<u>पत्र संख्या-235(1)/ 38-5-2015, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन (तीन मूल प्रति सहित)
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. ग्राम्य विकास अनुभाग-3/4 ।
8. गार्ड बुक।

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in